ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगडा, हि॰ प्र॰ –176201 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023

भाग–एक

1. **(क)प्रस्तावना**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगडा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती रजनी मनकोटियां	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री नरिन्द्र सिंह	01.04.2022 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री हरदीप सिंह	01.04.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत गगवाल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.88
2	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.08
3	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	2.72
4	7.2	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.40
5	7.3	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कृत अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना	0.07
6	8	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत गगवाल का गत अंकेक्षण अवधि 01.04.13 से 31.03.16 व 01/04/2020 से 31/03/2022 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित हैः–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/13 से 03/16 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1	3	निर्णीत	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त निर्णीत पृष्ठ संख्या 17
2	4.1, 4.2	अनिर्णीत	
3	5	अनिर्णीत	
4	6	अनिर्णीत	
5	7	अनिर्णीत	

6	8	अनिर्णीत	
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11	अनिर्णीत	
10	12	अनिर्णीत	
11	13	अनिर्णीत	
12	14	अनिर्णीत	
13	15	अनिर्णीत	
14	16	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	पुष्टि उपरान्त(रोकड़ बही पृ0 सं0 11 दिनांक 08.06.22 द्वारा अदायगी)
2.	4,4.2	निर्णीत	लेखों की पुष्टि उपरान्त
3.	5	अनिर्णीत	–
4.	6	अनिर्णीत	–
5.	7	अनिर्णीत	–
6	8 (क)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
7	8(ख)	अनिर्णीत	
8	9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
9	10	अनिर्णीत	–
10	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

11	12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
12	13.1से 13.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत गगवाल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.12.2023 से 12.12.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	03/2023	05/2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को

शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2023/–265 दिनांक 11.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2023/–255 दिनांकः 06.12.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	18573.49	330563	349136.49	348066.36	1070.13

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1777782.34	5798720	7576502.34	5488866	2087636.34

कुल योग (1+2) 1070.13+2087636.34 = **2088706.47**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹20,88,706.47** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹20,88,706.47** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित्त/जेड.पी/पी.एस/ वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक इन्दौरा	20076007191	30514.39
2	स्वःस्त्रोत/तीसरा वित्त/जेड.पी/पी.एस/	हि•ग्रा• बैंक हगवाल	88161700003022	2360.44

	वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी			
3	स्वःस्त्रोत / तीसरा वित्त / जेड.पी / पी.एस / वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी	हि•ग्रा• बैंक हगवाल	88160100012711	1224.64
4	15वाँ वित्तायोग	हि•ग्रा• बैंक हगवाल	88160100014635	2054607
5	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹2088706.47
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹2088706.47
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				₹2088706.47
अन्तरः–				शून्य

(ग) लेखा खाता / खाताबही तैयार न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ / लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ / लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 264 दिनांकः 11 / 12 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ / लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान हैं।

ग्राम पंचायत गगवाल द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, तीसरा वित्त, जेड. पी, पी.एस, वी.के.वी.एन.वाई, एस.डी.पी आदि शीर्षो के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध तीन खाते 20076007191, 88161700003022, 88160100012711 खोले गये थे तथा इन्ही तीन खातों से निधि सहित सभी अनुदानों की प्राप्त हुई राशि को जमा व उसकी निकासी की गई थी, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/264 दिनांकः 11.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा

दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़–बही व स्कीमवार खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख व निर्देशों के अनुरूप रोकड़ बही व बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹20.88 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–255 दिनांक 06.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹20,87,636.34/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी:–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	तीसरा वित्त/जेड.पी/पी.एस/ वी.के.वी. एन.वाई/14वाँ वित्तायोग/एस.डी.पी	31.03.2023	33029.34
2	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	2054607
		कुल योग	**₹2087636.34**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर / गृहकर की ₹1.08 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर / गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / –255 दिनांकः 06 / 11 / 2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर / गृहकर की मद में ₹1,08,150 / – की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पति कर / गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	98950	835	50	41750	140700	32550	108150
नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 108150/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या ''0235–00–800–03'' में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत गगवाल द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1	2022–23	7000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 264 दिनांकः 11 / 12 / 2023 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत गगवाल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्त्युतर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12 / 12 / 2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹2.72 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गगवाल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** पर संकलित

राशि ₹2,71,548/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/264 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹0.40 लाख की राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹39,900/– का अनियमित भुगतान किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/264 दिनांकः 11.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में

पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक ''0853'' नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष ''102'' मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस ''81''खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹0.07 लाख के अधिक/अनियमित भुगतान की अंकेक्षणापत्ति उपरान्त वसूली करना:–

1. निर्माण सोकपिट नजदीक आशा देवी–2 वार्ड–2 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया:–1.निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 13141 के पृष्ठ संख्या 16,17,18 व 19 में निर्माण सामग्री सरिया का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 08 , दिनांक 21.04.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सरिया 358kg का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹3509 का अधिक भुगतान किया गया।

2. माप पुस्तिका संख्या 13141 के पृष्ठ संख्या 16,17,18 व 19 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 23211, दिनांक 20.04.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 95 बैग का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण **₹3218/–** का अधिक भुगतान किया गया:–

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	15वां वित	सरिया	358kg	300kg	58kg	60.50	3509
2.	15वां वित	सीमेंट	95बैग	86बैग	9बैग	357.54	3218
						जोड	**6727**

सरिया:–

Item- 1.35Cu3 X 90/m3 = 120kg
Item- 1.3196Cu3 X 90/m3 = 118kg
Item- Written as par Qty = 62kg

सीमेंट:–

Item- P/L(1:2:4) = 11.0852 cu3 X 6.40 (Cement Factor) = 70.95Bag
Brick work = 12.742 cu3 X 1.20 (Brick Factor) = 15.29Bag , say 86 bags

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–264 दिनांक: 11/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 244435 के द्वारा करके खाता संख्या 88161700003022 में दिनांक 19.12.2023 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है।

अत: ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जायें तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

8 ₹11.07 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान, चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹11,07,286/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	15वां वित्त	1,3,5/06.05.22	नि0 जीपएवल रोड (एंबुलेसरोड) खड्ड से पीर बाबा मंदिर	161048
2	15वां वित्त	34,50–59/06.05.22,07.05.22	नि0 सोकपिट नजदीक तेजवीर के घर	54862
3	15वां वित्त	35,61/06.05.22,12.05.22	नि0 सोकपिट नजदीक रवि कुमार के घर	54862
4	15वां वित्त	36,49/07.05.22	नि0 रास्ता/डंगा मेन रोड से सुरजीत सिंह घर	90330
5	15वां वित्त	60/12.05.22	नि0 सोकपिट नजदीक मुखत्यार के घर	44604
6	15वां वित्त	67,68/12.05.22	नि0 सोकपिट नजदीक आशा देवी–2	120575
7	15वां वित्त	69,70/12.05.22	नि0 नाली गली मोहला महाशा	32277
8	15वां वित्त	71,72,75/12.05.22,16.05.22	नि0सोकपिट नजदीक मोहल्ला कुमहारा हगवाल	89507
9	15वां वित्त	73,74/12.05.22	नि0 सोकपिट एस.सी मोहल्ला गगवाल	47996
10	15वां वित्त	76/16.05.22	नि0 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सोकपिट गगवाल	77840
11	15वां वित्त	77,78/19.05.22	नि0 रास्ता रूमाल के घर से मजर के घर तक	114961
12	15वां वित्त	79,80/19.05.22	नि0 रास्ता सडक से रानी का तलाव	139224
13	15वां वित्त	82,84,85/19.05.22	नि0 नाला चमेल हाउस	79200
			कुल योग	**1107286**

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत गगवाल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/264 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12/12/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या ''8'' में दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के ''**परिशिष्ट – ई**'' में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत गगवाल द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/264 दिनांकः 11.12.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत गगवाल को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/255 दिनांकः 06.12.2023 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30

4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप–5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	मांग व प्राप्ति रजिस्टर	**10**	**33 व 77**(4)
6	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–255 दिनांकः 06.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 07 दिनांक 12.12.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

05 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

633- 637 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)17/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत गगवाल, विकास खण्ड इन्दौरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP GAGWAL FOR THE YEAR 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	18573.49	330563	349136.49	348066.36	1070.13

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1777782.34	5798720	7576502.34	5488866	2087636.34

J.A.

Checked

सचिव
ग्राम पंचायत गगवाल
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GP GRANTS- IN- AID OF GAGWAL FOR THE YEAR 2022-23

SR. NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	3RD STATE/ ZP/ P.S/ 14TH/VKVNY/SDP	2022-23	202279.34	404526	606805.34	573776	33029.34
2	15TH FIN	2022-23	1575503	3310550	4886053	2831446	2054607
3	MGNREGA	2022-23	NIL	2083644	2083644	2083644	NIL

S.A.

Checked

Jr. Auditor

सचिव
ग्राम पंचायत गगवाल
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट–"ड" पैरा सख्यां " 61" के सन्दर्भ में)

कार्यालय ग्राम पचांयत गगवाल विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगडा हि0प्र0 –176201

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 835 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	98950	835	50	41750	140700	32550	108150
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹ 108150/– है।						

Checked
2001
Jr Auditor

सचिव
ग्राम पंचायत गगवाल
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला कांगडा (हि.प्र.)

22

परिशिष्ट–" 4 "

ग्राम पंचायत गगवाल विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना। पैरा संख्या– "8.1" में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.15वां वित	01/06. 05.22	रेत बजरी	201/17.03. 22	10cu3@1200 25cu3@1200	मै0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	12000 30000	स्टॉक प्रविष्टि,
2.15वां वित	34/06. 05.22	रेत बजरी	202/02.04. 22	02cu3@1200 02cu3@1200	मै0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	2400 2400	स्टॉक प्रविष्टि,
3.15वां वित	35/06. 05.22	रेत बजरी ब्रिक वैट ब्रिक	203/08.04. 22	2cu3@1200 2cu3@1200 1000@6.5 09cu3@1000	मै0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	2400 2400 6500 9000	स्टॉक प्रविष्टि
4.15वां वित	36/07. 05.22	रेत बजरी	204/08.04. 22	13cu3@1200 28cu3@1200	मै0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	15600 33600	स्टॉक प्रविष्टि
5.15वां वित	67/ 12.05.22	सीमेंट बैग	23211/ 20.04.22	95@357.54	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई कंदरोडी	33966	स्टॉक प्रविष्टि
6.15वां वित	68/ 12.05.22	सरिया	08/ 21.04.22	358kg@60.50	मैं0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	21659	स्टॉक प्रविष्टि
7.15वां वित	68/ 12.05.22	इंटे	07/ 21.04.22	6300@6.5	मैं0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	40950	स्टॉक प्रविष्टि
8.15वां वित	69/12. 05.22	सीमेंट बैग	23215/ 20.04.22	50@357.54	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई कंदरोडी	17877	स्टॉक प्रविष्टि
9.15वां वित	73/12. 05.22	सीमेंट बैग	23212/ 20.04.22	26@357.54	मैं0 हि.प्र.सिविल सप्लाई कंदरोडी	9296	स्टॉक प्रविष्टि
10.15वां वित	74/ 12.05.22	ईंट रोडा	11/ 21.04.22	3000@6.5 12cu3@1000	मैं0 अमरेश टेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	19500 12000	स्टॉक प्रविष्टि
				कुल जोड		271548	

सचिव
ग्राम पंचायत गगवाल
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला कांगडा (हि.प्र.)

Checked

23

परिशिष्ट–"5"

ग्राम पंचायत गगवाल खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"8.2" के सन्दर्भ में)

क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वो0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2022–23								
	अनुदान –15वां वित								
1.	मै0 अमरेश ट्रेडिंग कम्पनी हगवाल लोधवां	01,34–36,68,70,72,74,78,80,82,84,85 / 06.05.22,12.05.22,19.05.22,27.05.22 / 201,202–204,6,9,11,10,12,15,16,17,18	रेत बजरी बोल्डर	– – –	104 152 –	1.62 1.52 2.24	168 231 –	80 80 80	13440 18480 –
								जोड	31920
								पेनल्टी 25 %	7980
								कुल जोड	39900

Checked

सचिव
ग्राम पंचायत गगवाल
विकास खण्ड इन्दौरा
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)